हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

शनिवार, 21 दिसम्बर, 2024/30 मार्गशीर्ष, 1946 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii)	दिन के लिए	

   (2) **अतारांकित :**

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii)	दिन के लिए	

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

   (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1) (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार;

   (ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5।

   (2) **डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री**, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 2) हिमाचल प्रदेश सरकार, की एक प्रति सभा पटल पर रखेगें।

(3) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 04.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.05.2017 को प्रकाशित;

(ii) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) संशोधन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 24.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.04.2018 को प्रकाशित;

(iii) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) तृतीय संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-बी0(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 05.03.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2022 को प्रकाशित;

(iv) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) चतुर्थ (चौथा) संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(एफ)6-14/2014-भाग-I, दिनांक 10.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2022 को प्रकाशित;

(v) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 28(ग) के पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) पांचवां संशोधन नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-बी0-एफ(6)-14/2014-भाग-III, दिनांक 26.09.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.10.2024 को प्रकाशित;

(vi) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), और धारा 15(क) और धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला खनिज संस्थान न्यास (संशोधन) नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-बी0(एफ)6-31/2016-II, दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.12.2021 को प्रकाशित;

(vii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि से निकाले गए या वहन किए गए या निकलवाए गए या वहन करवाए गए किसी खनिज को तथा इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी औजार, उपकरण,यान या किसी अन्य वस्तु को, अभिगृहित करने के लिए अधिकारियों को सशक्त/प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 01.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2021 को प्रकाशित;

(viii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 01.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2021 को प्रकाशित; और

(ix) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) की धारा 22 के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की बाबत सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को लिखित में परिवाद करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या: उद्योग-II(एफ)6-20/2005, दिनांक 18.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.12.2021 को प्रकाशित।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **94वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **95वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 162वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **96वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि 165वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय योजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;

(4) समिति का **194वां मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बने **230वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि लोक **निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(5) समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर बने **279वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री रणधीर शर्मा,** "श्री नैना देवी जी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल/सिंचाई सुविधा में हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **सुश्री अनुराधा राणा,** "राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोसर में घटी आगजनी की घटना से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेगी।"

(3) **श्री केवल सिंह पठानिया,** "प्रदेश में होटलों व भवनों के अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान तथा इनके नियमितीकरण करने हेतु One Time Relaxation प्रदान कर उससे सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

5. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

(1) **श्री सुरेन्द्र शौरी (24-बंजार),** लारजी झील में जल क्रीड़ा व कैफेटेरिया शीघ्र शुरू करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री सुरेन्द्र शौरी (24-बंजार),** पार्वती व सराज वन मण्डल में **FRA & FCA** के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री बिक्रम सिंह (11-जंसवा प्रागपुर),** धर्मशाला पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वित्तीय लाभ न मिलने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री विपिन सिंह परमार (14-सुलह),** प्रदेश में निजी अस्पतालों के पंजीकरण बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(5) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** गैर-मुमकिन रास्तों को बन्द किए जाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री डी0 एस0 ठाकुर (4-डलहौजी),** लोक निर्माण विभाग के सलूणी और डलहौजी मण्डल के अन्तर्गत लम्बित पड़े कार्यों बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

6. **नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:**

(1) **श्री चन्द्र शेखर,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश सरकार को PDNA व अन्य मदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण न करने पर यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री बिक्रम सिंह,** प्रस्ताव करेंगे कि:

प्रदेश की **"पौधारोपण/वृक्षों के कटान नीति"** पर यह सदन विचार करे।

7. **नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा :**

(1) **श्री सुख राम चौधरी,** "दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2204 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

(2) **श्री डी0 एस0 ठाकुर,** "दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

8. **नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव:**

श्री हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2024 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकों में से 8 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

धर्मशाला-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 20 दिसम्बर, 2024 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(सप्तम् सत्र)

शनिवार, 21 दिसम्बर, 2024/30 मार्गशीर्ष, 1946(शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

प्रश्न संख्या	शुद्धियां

तारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-29

*2344	विलोप किया गया।

धर्मशाला-176215
दिनांक: 20-12-2024

यशपाल शर्मा,
सचिव ।